वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 01.08.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स,न्यायाधीश,जनसदेश टाइम्स" समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 01.08.2024

61 बेसमेंट में मिला कारोबार, वीडीए ने थमाया नोटिस

तीन दिन के अंदर वाहन पार्किंग का वीडियो व फोटो देने का निर्देश, कारोबार बंद नहीं करने पर होगा केस

बेसमेंट में फंसी जान

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बेसमेंट में अवैध तरीके से व्यावसायिक कारोबार करने वालों के खिलाफ बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण का चाबुक चला। 61 बेसमेंटों की जांच में सभी में अवैध तरीके से संचालन पाया गया। मौके पर नोटिस जारी करते हुए भवन स्वामी को बेसमेंट में कारोबार बंद करने की चेतावनी दी गई। तीन दिन में बेसमेंट में अवैध कारोबार बंद नहीं होने पर स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

भवन स्वामियों और कारोबार संचालित करने वालों को बेसमेंट खाली कर वाहन पार्किंग का वीडियो और फोटोग्राफ्स बनाकर देने को कहा गया है। दैनिक जागरण ने 29 जुलाई के अंक में नियम दरकिनार, बेसमेंट में चल रहा मौत का कारोबार खबर लिखकर सवाल उठाया था।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा टीम सहित हर सभी जोन में कार्रवाई करवाने के साथ मानीटरिंग कर रहे हैं। सचिव ने बेसमेंट में पार्किंग के अलावा कोई कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने बताया कि बुधवार को 61 बेसमेंटों की जांच कराई गई। सभी स्थानों पर कोई न कोई कारोबार करते हुए पाया गया।

मौके पर वीडियोग्राफी कराने के साथ संचालकों को नोटिस थमाया गया। जोन एक में सिगरा और सिकरौल वार्ड में कुल 22 बेसमेंट, जोन दो में सारनाथ में छह बेसमेंट, जोन तीन दशाश्वमेध में पांच, जोन चार में भेलूपुर व नगवां वार्ड में 18 और जोन पांच में रामनगर व मुगलसराय वार्ड में 10 बेसमेंट में कारोबार पाया गया। सभी बेसमेंट संचालकों को तीन दिन के अंदर अवैध कारोबार बंद कर वाहन पार्किंग चालू करने को कहा गया है।

रथयात्रा पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करती वीडीए की टीम• सौ.-वीडीए

लंका में बेसमेंट में रेस्टोरेंट हाल पर कार्रवाई करते वीडीए की टीम के सदस्य• सौ.-वीडीए

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इन्हें थमाया नोटिस

लालपुर में श्रेयांश स्टडी प्वाइंट, कबूतर नगर में श्री राधे लाइब्रेरी, पिसनहरिया में एआर लाइब्रेरी, तेलियाबाग में स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी, सारनाथ में राम पैलेस, आशापुर में अर्डेंट कंप्यूटर, मुगलसराय में एबीसी पैरामेडिकल साइंस, अदिति पाइल्स हास्पिटल, एनएच-19 दैवे, रामनगर में किरण लाइब्रेरी, शिव कालोनी में श्री साईं इंटरप्राइजेज, स्वस्तिक हास्पिटल, स्वीचान कोचिंग, शिवपुर वार्ड के सुद्धिपुर में एसबी कंप्यूटर, पी.डब्लू.इंस्टीट्यूट, लंका में कृष्णा कंप्यूटर लाइब्रेरी, ओपन बुक लाइब्रेरी, लंका श्री वैष्णवी शाप, सुन्दरपुर में कविता ड्रीम होम, स्नेहा वत्स फैमिली रेस्टोरेंट, अर्डेन्ट प्रा.लि. लंका।

कई स्थानों पर वीडीएकर्मियों से नोकझोंक

बेसमेंट में वाहन पार्किंग की जगह कारोबार करने वालों से वीडीए कर्मियों की नोकझोंक हुई। संचालकों का कहना था कि वीडीए बेसमेंट में वाहन पार्किंग के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ऐसे में वीडीए कर्मियों ने उनके भवन का नक्शा मांगा तो वे दिखा नहीं सके। मालूम चला कि अवैध निर्माण है, ऐसे में वीडीए ने धारा-27 व 28 में नोटिस जारी कर भवन का नक्शा पास कराने को कहा। अवैध निर्माण में कोई कारोबार नहीं हो सकता है। बेसमेंट में अवैध तरीके से कारोबार करने वालों के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई का दौर आगे भी जारी रहेगा।

गलियों में आसानी से पहुंचेगा फायर ब्रिगेड का वाहन

जागरण संवाददाता, वाराणसी : गलियों के शहर वाराणसी में आग से बचाव के इंतजाम को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके तहत फायर ब्रिगेड को नया वाहन मिला जो गलियों में आसानी से पहुंचकर आग बुझा सकता है। लखनऊ मुख्यालय से मिले वाहन में कई खूबियों के साथ बचाव के उपकरण भी मौजूद हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत के अनुसार वाराणसी को मिले क्विक रिस्पांस व्हीकल कम चौड़े रास्ते से भी होते हुए तेज गति से घटना स्थल तक पहुंच सकता है। इसमें लगे हाईप्रेशर पंप से पानी व फोम दोनों फेंका जा सकता है जिससे ट्रांसफार्मर, गैस की आग या अन्य किसी प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है। इसमें सात सौ लीटर पानी के टैंक के साथ 50 लीटर का फोम टैंक भी है।

फायर ब्रिगेड के नए वाहन में लगे उपकरणों की जांच करते अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत• जागरण

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि0 01.08.2024

बेसमेंट में मिलीं तीन लाइब्रेरी, होंगी बंद

जागरण संवाददाता, वाराणसी: दिल्ली की इमारत के बेसेंट में हुए हादसे के बाद फायर ब्रिगेड उन इमारतों की जांच की जांच कर रही है जिनमें कोचिंग व लाइब्रेरी संचालित हो रही है। पिंडरा फायर स्टेशन की टीम की ओर जांच के दौरान चोलापुर के धरसौना में तीन लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती मिलीं। इनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं भेलूपुर फायर स्टेशन की टीम को नौ कोचिंग में आग से लड़ने के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले। उन्हें इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत के अनुसार रिहायशी इमारतों में व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। कई इमारतों के बेसमेंट में दुकानों आदि के साथ लाइब्रेरी, कोचिंग आदि के संचालन की जानकारी मिल रही थी। इसे देखते हुए अभियान चलाया गया है। चेतगंज, भेलूपुर, पिंडरा फायर स्टेशनों के फायर अफसर टीम के साथ अपने-अपने क्षेत्र में जांच कर रहे हैं। 17 कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच की गई। पिंडरा फायर स्टेशन की टीम को धरसौना में स्वास्तिक लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी प्वाइंट, सेल्फ स्टडी हाल एंड लाइब्रेरी व इंफिनिटी डिजिटल लाइब्रेरी मकानों के बेसमेंट में संचालित होती मिलीं। तीनों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है। फायर स्टेशन भेलूपुर की टीम ने 12 कोचिंग की जांच की। नौ में आग से बचाव के इंतजाम पर्याप्त नहीं मिला। उनके पास आग से लड़ने के प्राथमिक उपकरण तो मौजूद थे लेकिन बड़ी आग से बचाव के इंतजाम पूरी तरह से क्रियाशील नहीं मिले। चेतगंज की टीम ने दो कोचिंग की जांच की।

चोलापुर के धरसौना में मकान के बेसमेंट में संचालित होती मिली लाइब्रेरी • जागरण

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार नियमों के तहत जिस इमारत में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं उनमें आग से बचाव का इंतजाम होना अनिवार्य है। इमारत के बेसमेंट में पानी भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। लिफ्ट के साथ ही सीढ़ियां भी होनी चाहिए। दो निकास द्वार अनिवार्य है। इसके साथ ही क्रियाशील अग्निशमन यंत्र होने चाहिए। फायर अलार्म होना चाहिए। इमारत तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आसानी से पहुंचने और वापस आने के लिए रास्ता में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 01.08.2024

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण, तोड़ी बाउंड्री

वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर बुधवार को अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के चौरा माता मंदिर पांडेयपुर के पास कलावती देवी अवैध तरीके से निर्माण कर रही थीं, उसे सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। दशाश्वमेध वार्ड के परमानंदपुर में बिना ले-आउट पास कराए पांच बीघा में अवैध प्लाटिंग करने पर बुलडोजर से बाउंड्री तोड़ दी गई। इसी वार्ड में रेशम कटरा में पूर्व निर्मित भवन को तोड़कर सूबे लाल गुप्ता भूतल पर अवैध निर्माण कर रहे थे। भवन स्वामी को 20 जून को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बंद करने को कहा गया था लेकिन निर्माण जारी रहा। अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। (जासं)

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज –दि0 01.08.2024

६१ बेसमेंट में चल रहे कारोबार तीन दिन में होंगे बंद

सैकड़ों पर विप्रा के टीम ने किया निरीक्षण, बेसमेंट पर विप्रा का कहर जारी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर बुधवार को सभी जोनल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में बेसमेंट में चल रहे गतिविधियों को मौका मुआयना किया । जिसमें ६१ बेसमेंट में कोई न कोई कार्य किया जा रहा है। सिकरौल में वार्ड २२ बेसमेंट प्रयोग में पाया गया,सारनाथ में छह,दशाश्वमेध में पांच, भेलूपुर में चार, नगवां १८, रामनगर में पांच और मुगलसराय में १० बेसमेंट पाये गये जिसमें कोई न कोई व्यवसाये किया जा रहा है जिसमें कोचिंग के अलावा अन्य बताया गया। इन बेसमेंट के मालिकों को तीन दिन के अन्दर बेसमेंट के प्रयोग को बन्द करने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को श्रेयांश स्टडी पाइंट लालपुर राधे लाइब्रेरी वासुदेव नगर, एआर लाइब्रेरी पैगम्बरपुर, स्मार्ट डिज़िटल लाइब्रेरी लेढूपुर, गामा क्लासेस लालपुर, आईटे कम्प्यूटर आशापुर, एबीसी पैरामेडिकल मुगलसराय, आदिती लाइल्ड हास्पिटल मुगलसराय इसमें १९ कैपे मुगलसराय में जिसमें किरन लाइब्रेरी रामनगर, शिव काम्प्लेक्स रामनगर, साईं ब्रदवाश रामनगर, स्वास्तीक हास्पिटल रामनगर,एबीशन कोचिंग रामनगर, एमबी कम्प्यूटर सुद्धिपुर, पी. जांस इंस्टीट्यूट शिवपुर, कृष्णा कम्प्यूटर लाइब्रेरी तराना, ओपेन बुक लाइब्रेरी तरना,सैफाली शौप लंका, कविता ड्रिम होम सुन्दरपुर, स्नेह क्लब फैमिली रेस्टूरेंट सुन्दरपुर और आदित्य प्राइवेट लिमिटेड लंका को नोटिस जारी की गयी है कि तीन दिन के अन्दर बेसमेंट का प्रयोग तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये नहीं तो कानूनी कारखाई की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 01.08.2024

5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, 3 निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को शहर में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई और तीन अवैध निर्माण सील कराए गए। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार दशाश्वमेध वार्ड के परमानंदपुर में बगैर लेआउट स्वीकृत आलोक कुमार ने 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित कराई थी, जिसे ध्वस्त कराया गया। रेशम कटरा में पूर्व में निर्मित भवन को तोड़कर पिलर का निर्माण किया जा रहा था। आंशिक अवैध निर्माण कराने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया था। बावजूद निर्माण जारी रखने पर दोबारा सील करने की चेतावनी दी गई। कोतवाली वार्ड में बुलानाला पर राहुल सेठ ने अवैध निर्माण कराया। इस पर वीडीए ने नोटिस दिया था। बावजूद अवैध निर्माण जारी रखने पर दोबारा सील किया गया। सारनाथ में कलावती देवी की ओर से चौरा माता कॉलोनी पांडेयपुर में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जिसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 01.08.2024

काशी में बेसमेंट बेचने का धंधा, पार्किंग बेचकर करोड़ों की कमाई

वीडीए की जांच में हो चुका है खुलासा, फिर भी खुलेआम हो रहा काम

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। शहर के अधिकांश भवनों के बेसमेंट का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे करोड़ों की कमाई होती है। पार्किंग और स्टोर वाले स्थानों को भी भवन स्वामी बेच देते हैं, उन्हें किराए के रूप में लाखों रुपये मिलते हैं। इसी लालच में ज्यादातर भवन स्वामी बेसमेंट को बेचने का धंधा चला रहे हैं।

वीडीए ने शहर को पांच जोन में बांटा है। इन सभी जोन में बने अधिकांश भवनों के बेसमेंटों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। खुद वीडीए की जांच में इसका खुलासा हो चुका है। सवाल उठता है कि जब ये भवन बन रहे थे तब वीडीए के अधिकारी कहां थे। पिछले माह शासन के निर्देश पर चले अभियान में आठ हजार इमारतों में अवैध निर्माण मिला था। [illegible], [illegible], [illegible], जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही जाने वाले मार्गों पर अवैध निर्माण चल रहे हैं। शहर में आए दिन जाम की समस्या हो रही है। मानकों की अनदेखी कर बिल्डर आवासीय व व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स धड़ाधड़ खड़े कर रहे हैं। पार्किंग के लिए स्थान भी नहीं छोड़े जा रहे हैं।

वीडीए सचिव, डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा से सवाल

बेसमेंट को लेकर अचानक जांच क्यों शुरू की गई?

■ शासन के निर्देश पर जांच शुरू कराई गई है। बेसमेंट का गलत इस्तेमाल होने पर सील किया गया।

भवन स्वामियों को तीन दिन का नोटिस देकर मौका क्यों दिया जा रहा है?

■ [illegible] समय भवन स्वामी से नक्शा मांगा जाता है। वह तत्काल नहीं दिखा पाते हैं। ऐसे में उन्हें तीन दिन के भीतर नक्शा दिखाने के लिए नोटिस दिया जाता है।

आगे की क्या योजना है?

■ जांच कर बेसमेंट के गलत इस्तेमाल को पूरी तरह से रोका जाएगा। बेसमेंट का इस्तेमाल केवल पार्किंग और स्टोर के रूप में करने का प्रावधान है।

61 बेसमेंटों मालिकों को नोटिस

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को सभी जोन में बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 61 भवनों के बेसमेंट का गलत इस्तेमाल पाया गया। इन सभी को वैध प्रमाणपत्र पेश करने का नोटिस दिया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार जोन वन के शिवपुर और सिकरौल वार्ड में 22, जोन टू के सारनाथ वार्ड में 6, जोन थ्री दशाश्वमेध में 5, जोन फोर भेलूपुर नगवां में 18, जोन फाइव रामनगर मुगलसराय में 10 भवन सहित 61 बेसमेंटों का अवैध इस्तेमाल पाया गया। इन सभी को नोटिस दिया गया है। जिन संस्थानों को नोटिस दिया गया है। इनमें श्रेयांश स्टडी पॉइंट [illegible], श्री राधे लाइब्रेरी [illegible] नगर, एआर लाइब्रेरी [illegible], स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी [illegible], गगन क्लासेस सारनाथ, आई टेक कंप्यूटर [illegible], एसीसी पैरामेडिकल साइंस मुगलसराय, अदिति चाइल्ड हॉस्पिटल मुगलसराय, [illegible] 19 केके मुगलसराय, किरण लाइब्रेरी रामनगर, शिव कॉम्प्लेक्स रामनगर, श्री साईं ड्रेसेज रामनगर, स्वस्तिक हॉस्पिटल रामनगर, एंबीशन कोचिंग रामनगर, एसबी कंप्यूटर [illegible], पी [illegible] इंस्टीट्यूट शिवपुर, कृष्णा कंप्यूटर लाइब्रेरी [illegible], ओपन बुक लाइब्रेरी [illegible], श्री [illegible] लंका, कविता ड्रीम होम सुंदरपुर, [illegible] फैमिली रेस्टोरेंट सुंदरपुर, [illegible] लिमिटेड लंका है।

12 कोचिंग को फायर सेफ्टी का नोटिस

वाराणसी। दिल्ली में हादसे के बाद फायर विभाग ने शहर में कोचिंग और लाइब्रेरी में फायर सेफ्टी की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को विभाग ने 17 कोचिंग संस्थान / लाइब्रेरी की जांच की। अग्निशमन केंद्र भेलूपुर ने 12 कोचिंग, चेतगंज ने 2 संस्थान और पिंडरा ने 3 संस्थानों का निरीक्षण किया। भेलूपुर में [illegible] एकेडमी धर्म संघ भवन के पास, [illegible] एजुकेशन प्रा. लि. [illegible], [illegible] (प्रथम तल), [illegible] एकेडमी बड़हर कोठी (प्रथम तल), केडी कैरियर इंस्टीट्यूट [illegible], रेजोनेंस वाराणसी स्टडी सेंटर कबीर नगर, [illegible] एजुकेशन कबीर नगर, [illegible] एजुकेशन [illegible] कॉलोनी, एस वन कोचिंग [illegible] दुर्गाकुंड में मानक के अनुसार फायर सेफ्टी नहीं मिली है। फायर विभाग ने सभी को नोटिस जारी किया। पिंडरा में स्वास्तिक लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी प्वाइंट [illegible], सेल्फ स्टडी हाल एंड लाइब्रेरी और इंफिनिटी डिजिटल [illegible] बेसमेंट में संचालित हो रही थी। जिसके बाद संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है। इन्हें नोटिस भी दिया जाएगा। अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने कहा कि जहां फायर सेफ्टी नहीं है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। [illegible]

हिन्दुस्तान –दि0 01.08.2024

पांडेयपुर में दो मंजिला अवैध निर्माण सील कराया

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने बुधवार को पाण्डेयपुर में अवैध निर्माण सील करने के साथ परमानंदपुर में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करवाया । चौरा माता कॉलोनी पाण्डेयपुर में दो मंजिला भवन में अवैध हिस्सों को सील किया गया। इसके अलावा दशाश्वमेध, कोतवाली में भी अवैध निर्माण सील हुए।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान –दि0 01.08.2024

वीडीए का विभिन्न क्षेत्रों में अभियान, कोचिंग संस्थान, क्लीनिक और दुकानें चिह्नित

बेसमेंट में चल रहे 61 बैंक्वेट हॉल, अस्पताल, जांच केंद्रों को नोटिस

कसता शिकंजा

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। कोचिंग संस्थानों के साथ ही वीडीए के निशाने पर अब बेसमेंट में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी आ गए हैं। बुधवार को शहर में भवनों, बहुमंजिला इमारतों के बेसमेंट की जांच का अभियान चला। कोचिंग के अलावा बैंक्वेट हॉल, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, दुकानें, शोरूम मिले। कुल 61 भवनों, कोचिंग संस्थानों के अधिष्ठाताओं को नोटिस दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि तीन दिनों के अंदर वे अपनी गतिविधियां बंद कर दें या वैधता प्रमाणपत्र दें। तीन दिन बाद वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

शिवपुर और सिकरौल वार्ड में 22 बेसमेंट, सारनाथ वार्ड में 6, दशाश्वमेध वार्ड में 5, भेलूपुर और नगवा वार्ड में 18 एवं रामनगर-मुगलसराय वार्ड में 10 बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां होती मिलीं।

इन संस्थानों को दी गई नोटिस : श्रेयांश स्टडी प्वाइंट लालपुर, श्री राधे लाइब्रेरी वासुदेव नगर, एआर लाइब्रेरी पैगंबरपुर, स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी लेढ़ूपुर, गामा क्लासेज सारनाथ, आईटेक कंप्यूटर आशापुर, एबीसी पैरामेडिकल साइंस पं. दीनदयाल नगर, अदिती चाइल्ड हॉस्पिटल पं. दीनदयाल नगर, एनएच 19 कैफे पं. दीनदयाल नगर, रामनगर में किरण लाइब्रेरी, शिव कॉम्प्लेक्स, श्री साईं ब्रदर्स, स्वास्तिक हॉस्पिटल, एंबीशन कोचिंग, शुद्धिपुर में एमबी कंप्यूटर, शिवपुर में पी जॉंस इंस्टीट्यूट, तरना में कृष्णा कंप्यूटर एवं ओपन बुक लाइब्रेरी, लंका में श्री सैफाली शॉप, सुंदरपुर में कविता ड्रीम होम, स्नेहा फैमिली रेस्टोरेंट आदि।

बेसमेंट की जांच लगातार होगी : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा।

सुंदरपुर स्थित इमारत के बेसमेंट में चल रहे रेस्टूरेंट की बुधवार को जांच करते विकास प्राधिकरण के अधिकारी। • हिन्दुस्तान

तीन लाइब्रेरी, नौ कोचिंग संस्थानों को मिली नोटिस

वाराणसी। अग्निशमन विभाग की ओर से बुधवार को कुल 17 कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों का निरीक्षण किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि भेलूपुर फायर स्टेशन की टीम के निरीक्षण में नौ कोचिंग संस्थानों में मानक के अनुरूप अग्निशमन उपकरण नहीं थे, जिसे तत्काल पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं, पिंडरा परिक्षेत्र में बेमसेंट में चल रहे तीन लाइब्रेरी को बंद कराने के लिए निर्देश दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 01.08.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लॉटिंग एवं निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण तथा सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड- दशाश्वमेध, मौजा-परमानन्दपुर के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये आलोक कुमार द्वारा लगभग 05, बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी ध्द उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया । मौके पर, जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति अवर अभियन्ता अशोक कुमार त्यागी व रविन्द्र प्रकाश एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उक्त के अतिरिक्त वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत सुबे लाल गुप्ता, निवासी भवन सं0 सी0के0-57/57, रेशम कटरा द्वारा पूर्व निर्मित भवन को तोड़ते हुए भूतल पर पीलर का निर्माण कार्य किया जा रहा था तथा कुछ आंशिक भाग में छत ढलाई का नवनिर्माण कार्य किया जा रहा था ध्द अनाधिकृत निर्माण पर पक्ष को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28 (1) एवं 28(2) के अन्तर्गत दिनांक-20/06/2024 को क्रमश: कारण बताओं की नोटिस दी गई थी, इसके बावजूद पक्ष द्वारा उक्त अवैध निर्माण गतिमान रखने की शिकायत प्राप्त हो रही थी जो धारा-27 का खुला उल्लंघन है। अत: उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-20 (क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को आज सील किया गया । उक्त के क्रम में वार्ड-कोतवाली के अंतर्गत राहुल सेठ पुत्र गोपाल सेठ, द्वारा भवन संख्या के0-62/80, बुलानाला (कन्हैया लाल अलंकार मंदिर के पीछे), पर अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। पक्ष द्वारा प्रश्नगत स्थल पर अनाधिकृत निर्माण कराये जाने की प्राप्त शिकायत प्राप्ति पर अवर अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया और पाया गया कि पक्ष द्वारा स्थल पर अनाधिकृत निर्माण निरन्तर जारी था, अत: उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-20 (क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को आज सील किया गय। मौके पर, जोनल अधिकारी श्री सौरव देव प्रजापति अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार त्यागी व श्री रविन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जनसंदेश टाइम्स –दि0 01.08.2024

बेसमेंट की जांच पर हड़कंप

सख्ती

वीडीए ने 18 भवन स्वामियों को दो दिन की मोहलत दी

भेलूपुर ,नगवा वार्ड में चला सघन अभियान, निर्धारित समय के बाद गरजेगा बुलडोजर

वाराणसी। शहर के कई बेसमेंटों के खिलाफ वीडीए ने बुधवार को जबरदस्त अभियान चलाया। भेलूपुर और नगवा वार्ड में अचानक जांच करने पहुंचे वीडीए की टीम को देख जहां हड़कंप मच गया,वही उसके कड़े एक्शन ने 18जगहो पर जबरदस्त छापेमारी कर भवन स्वामी को नोटिस दी और दो दिनो की मोहलत दे खाली नही कराये जाने पर ध्वस्तीकरण की सख्त कारवाई किये जाने की चेतावनी दी। इस मामले में ,विभाग, शहर के भवनों और शापिंग कम्पलेक्स के बेसमेंट को पार्किंग के रूप में उपयोग नही किये जाने पर इन दिनो काफी सख्त है। इसको लेकर वीडीए की प्रवर्तन जोन 4 की टीम उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर बुधवार को अचानक भेलूपुर और नगवा वार्ड में पहुंचा। जहां वार्ड के विभिन्न इलाको में सघन अभियान चलाकर ऐसे जगहो की जांच की । इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में पहुंची,टीम ने 18 स्थानों के बेसमेंट को मानक के विपरित चिह्नित पाये जाने पर जहां उन्हें नोटिस दी ,वही सामान हटाने और उसे खाली किये जाने के लिए मात्र दो दिनो की मोहलत दिया। इस दौरान विभाग ने निर्धारित समय सीमा पार होने और बेसमेंट खाली नही किये जाने पर सख्त कारवाई करने के साथ ही बूलडोजर की दहाड़ से ध्वस्तीकरण किये जाने की चेतावनी दी है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधिश –दि0 01.08.2024

वाविप्रा द्वारा चलाया गया अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण व सील की कार्यवाही अभियान

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध वार्ड-दशाश्वमेध व वार्ड-कोतवाली में सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-दशाश्वमेध, मौजा-परमानन्दपुर के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराये आलोक कुमार द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 31/07/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ।इस मौके पर, जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति अवर अभियन्ता अशोक कुमार त्यागी व रविन्द्र प्रकाश एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे ।उक्त के अतिरिक्त वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत श्री सुबे लाल गुप्ता, निवासी भवन सं0 सी0के0-57/57, रेशम कटरा द्वारा पूर्व निर्मित भवन को तोड़ते हुए भूतल पर पीलर का निर्माण कार्य किया जा रहा था तथा कुछ आंशिक भाग में छत ढलाई का नवनिर्माण कार्य किया जा रहा था त अनाधिकृत निर्माण पर पक्ष को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28 (1) एवं 28(2) के अन्तर्गत दिनांक-20/06/2024 को क्रमशः कारण बताओं की नोटिस दी गई थी, इसके बावजूद पक्ष द्वारा उक्त अवैध निर्माण गतिमान रखने की शिकायत प्राप्त हो रही थी जो धारा-27 का खुला उलंघन है। अतः उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-20 (क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को आज दिनांक 31/07/2024 को सील किया गया ।उक्त के क्रम में वार्ड-कोतवाली के अंतर्गत राहुल सेठ पुत्र गोपाल सेठ, द्वारा भवन संख्या के0-62/80, बुलानाला (कन्हैया लाल अलंकार मंदिर के पीछे),पर अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। पक्ष द्वारा प्रशनगत स्थल पर अनाधिकृत निर्माण कराये जाने की प्राप्त शिकायत प्राप्ति पर अवर अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया और पाया गया कि पक्ष द्वारा स्थल पर अनाधिकृत निर्माण निरन्तर जारी था, अतः उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-20 (क) की उपधारा-1 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को आज दिनांक 31/07/2024 को सील किया गया ।इस दौरान मौके पर, जोनल अधिकारी श्री सौरव देव प्रजापति अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार त्यागी व श्री रविन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाविप्रा द्वारा सभी जोन मे बेसमेंट मे की जा रही व्यवसायिक गतिविधि के विरुद्ध अभियान चलाया गया

वाराणसी।वाविप्रा के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सभी जोन में बेसमेंट मे की जा रही व्यवसायिक गतिविधि के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसके क्रम में आज कुल 61 बेसमेंट भवन की स्थलीय जांच मे मौके पर नियम विरुद्ध प्रयोग होता पाया गया । जोन 1 के शिवपुर और सोकरौल वार्ड मे कुल 22 बेसमेंट भवनों मे अनाधिकृत प्रयोग पाया गया। जोन 2 सारनाथ मे कुल 06 बेसमेंट में अनाधिकृत प्रयोग होता पाया गया। जोन 3 दशाश्वमेध मे 05 जोन 4 भेलूपुर नगवा मे कुल 18 एवं जोन 5 रामनगर मुगलसराय मे कुल 10 बेसमेंट भवनों में अनाधिकृत प्रयोग होता पाया गया । इस प्रकार कुल 61 बेसमेंट भवनों के विरुद्ध 03 दिन मेंं अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है उनमे मुख्यतः श्रेयांश स्टडी पॉइंट लालपुर, श्री राधे लाइब्रेरी वासुदेव नगर, ए आर लाइब्रेरी पैगंबरपुर, स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी लेढ़ूपुर, गामा क्लासेस सारनाथ, आई टेक कंप्यूटर अशापुर, एबीसी पैरामेडिकल साइंस मुगलसराय, अदिति चाइल्ड हॉस्पिटल मुगलसराय, एनएच 19 कैफे मुगलसराय, किरण लाइब्रेरी रामनगर, शिव कॉम्प्लेक्स रामनगर श्री साई ब्रदवाश रामनगर, स्वास्तिक हॉस्पिटल रामनगर, एकेशन कोचिंग रामनगर, एमबी कंप्यूटर सुद्धिपुर, पी जांस इंस्टीट्यूट शिवपुर, कृष्णा कंप्यूटर लाइब्रेरी तरना, ओपन बुक लाइब्रेरी तरना, श्री सैफाली शॉप लंका, कविता ड्रीम होम सुंदरपुर, सेन्ध्रा क्लब फैमिली रेस्टोरेंट सुंदरपुर, आदित्य प्रा.लि.लंका को 03 दिन में अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं भवन की वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।आगे भी प्राधिकरण द्वारा बेसमेंट मे अनाधिकृत रूप से प्रयोग पाए जाने की दशा में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा मे प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा मे सौंपा

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत कलावती देवी पत्नी अनिल कुमार पटेल द्वारा भवन सं0-सा0 2/285-ए-1 चीरा माता कॉलोनी,पाण्डेयपुर में किये गये अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा मे सौंप दिया गया।इस मौके पर, जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता जे0 पी0 गुप्ता एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।